

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3268 / 2024

दिनांक : 04.10.2024


**श्रीमती अम्बिका** (RJ01113) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी (बून्दी), को दिनांक 04.10.2024 से 01.04.2025 तक 180 दिवस का द्वितीय मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 02.10.2024 से 03.10.2024 का राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**श्रीमती अम्बिका** (RJ01113) के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

क. स.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-	न्यायालय, जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-
01	<b>श्री हनुमान सहाय मीणा</b> (RJ01388) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रगढ़ (बून्दी)।	<b>श्रीमती अम्बिका</b> (RJ01113) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी (बून्दी)।

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्री हनुमान सहाय मीणा** (RJ01388) अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/101/2016/ 7893

दिनांक.04.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 2390 दिनांक 25.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती अम्बिका** (RJ01113) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी (बून्दी)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी (बून्दी)।
5. **श्री हनुमान सहाय मीणा** (RJ01388) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रगढ़ (बून्दी)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रगढ़ (बून्दी)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण--पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
04/10/2024  
सहायक रजिस्ट्रार